

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक:-4(7) वित्त/राजस्व/2018

जयपुर दिनांक 1 MAY 2018


--:आज्ञा:-

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50 के अन्तर्गत श्री शकूर मौहम्मद कुरेशी, सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर ग्रामीण को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2018 के आधार पर दिनांक 01.08.2018 को मध्याह्न पूर्व से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री शकूर मौहम्मद कुरेशी, सहायक निदेशक के विरुद्ध आज तक:-


- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह भी आदेशित किया जाता है कि राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, श्री शकूर मौहम्मद कुरेशी द्वारा सेवानिवृत्ति तिथि से दो माह की अवधि के भीतर ही राजकीय आवास रिक्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।


(वेव प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 364/अधि/संस्था/बीमा/2018/1703 दिनांक 07.05.2018 के क्रम में।
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग
5. श्री शकूर मौहम्मद कुरेशी, सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर ग्रामीण।
6. निजी पत्रावली
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव